भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PR

TRY. LKO. आदर्श कोषागार लखनऊ से जारी 1 MAY 2012 उ०को०अ०/कोषाधिकारी कोषागार, लखनऊ TRY. LKO.

विक्रय अनुबन्ध पत्र मय कब्जा

प्रतिफल की धनराशि	– 8,94,702/–
अग्रिम धनराशि	– 8,89,702/–
बकाया धनराशि	– 5,000/–
मालियत	– 2,16,720/–
अदा किये गये जनरल स्टाम्प	– 44,850/–

Ansal Properties & Infrastructure Ltd.

Authorised Signatory

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक...... 11/ [illegible] /12

मूल्य...... [illegible] ......नकद स्टाम्प

रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000 बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

TRY. LKO.
आदर्श कोषागार लखनऊ से जारी
1 MAY

2

1.	भूमि का प्रकार	:– कृषि योग्य
2.	परगना व तहसील	:– मोहनलालगंज
3.	मोहल्ला / ग्राम	:– सौनई कजेहरा
4.	सम्पत्ति का विवरण	:– खसरा नं0 535मि0 रकबा 0.152हे0 का जुज भाग रकबा 0.1204हे0 सि ग्राम सौनई कजेहरा
5.	मापन की इकाई	:– हेक्टेयर
6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:– 0.1204हे0
7.	सड़क से दूरी	:– 3 किमी0
8.	सम्पत्ति का प्रकार	:– कृषि
9.	पेड़ों की स्थिति	:– कोई पेड़ नहीं है।
10.	बोरिंग / कुआं अन्य	:– कुछ भी नहीं है।

Ansal Prop[illegible] Ltd.

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक 11/07/12

मूल्य 20

नाम

द्वारा

कोषाध्यक्ष

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 552679

3

चौहद्दी– खसरा नं 535मि0

पूरब	–	रास्ता व गाटा संख्या 536
पश्चिम	–	सरहद हसनपुर खेवली
उत्तर	–	गाटा संख्या 534
दक्षिण	–	गाटा संख्या 544 व 545

नि० कमला

नि० सन्नो

Authorised Signatory

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक......

मूल्य...... जनरल स्टाम्प

नाम......

द्वारा......

रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 552678

4

विक्रेता व क्रेता का विवरण

प्रथम पक्ष की संख्या–2 विकेता का विवरण	द्वितीय पक्ष की संख्या 1 केता का विवरण
करतार पुत्र जगन्नाथ व सन्ता पत्नी करतार निवासी माई जी का पुरवा मजरा सौनई कजेंहरा परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ।	अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा अधोहस्ताक्षरी सुशील कुमार सक्सेना पुत्र श्री शिव गोपाल सक्सेना वर्तमान पता तृतीय तल वाई0एम0सी0ए0 बिल्डिंग 13 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

नि करतार

नि सन्ता

Ansal Properties Infrastructure

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक..........

मूल्य.......... जनरल स्टाम्प

नाम..........

द्वारा..........

कोषाधिकारी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 552677

5

विकय अनुबन्ध पत्र मय कब्जा

यह विकय अनुबन्ध करतार पुत्र जगन्नाथ व सन्ता पत्नी करत निवासी माई जी का पुरवा मजरा सौनई कर्जेहरा परगना तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ जिन्हें आगे प्रथम पक्ष क गया है। (जिसके अर्न्तगत प्रथम पक्ष के विधिक उत्तराधिकारी,वारिसान निष्पादकगण सम्मिलित है।)

एवम्

नि. करतार

नि. सन्ता

आदर्श कारागार, लखनऊ

दिनांक........11/08/14..........

मूल्य........1/-..........अदेय स्वामी

नाम.........................

द्वारा.........................

प्रचिकित्सा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 552676

अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा अधोहस्ताक्षरी सुशील कुमार सक्सेना पुत्र श्री शिव गोपाल सक्सेना वर्तमान पता तृतीय तल वाई0एम0सी0ए0 बिल्डिंग 13 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ जिसे आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है। (जिसके अन्तर्गत द्वितीय पक्ष के विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान एंव निष्पादकगण सम्मिलित है।) के मध्य निष्पादित किया गया ।

विशालहार

विलम्बा

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक 11/8

मूल्य 1,0 जनरल स्टाम्प

नाम

श्री

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R/659236

7

वह कि प्रथम पक्ष भूमि खसरा संख्या 535मि0 रकबा 0.152हे0 का जुज भाग 0.1204हे0 स्थित ग्राम सौनई कजेहरा परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ का मालिक,कामिल व काबिज है,तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी संख्या 00544 (फसली वर्ष 1419–1424) के अनुसार भूमि प्रथम पक्ष के नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर असंकमणीय भूमिधर अकिंत है।

प्रथम पक्ष अपनी विकीत भूमि द्वितीय पक्ष को इस विकय अनुबन्ध पत्र द्वारा विकय कर रहे है। प्रथम पक्ष उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि का मालिक व काबिज हैं एंव वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है

Authorised Signatory

[illegible]

दिनांक ...... 11/[illegible] ......

मूल्य ...... [illegible]

नाम ...... [illegible] ......

द्वारा ......

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 869365

8

और यह कि प्रथम पक्ष यह घोषित करते है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एंव पाक साफ है, तथा प्रथम पक्ष ने उसे इस विकय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी, अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। प्रथम पक्ष ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार प्रथम पक्ष व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होगें। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अर्न्तगत विवाद का वस्तु विषय नहीं है। न ही कुर्क इत्यादि है। प्रथम पक्ष के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एंव प्रथम पक्ष को उक्त भूमि का विकय अनुबंध करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

Authorised Signatory

आदर्श कारागार, लखनऊ
दिनांक..........
शुल्क..........
नाम..........
द्वारा..........

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 869374

अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रु0 8,94,702/-(रु0 आठ लाख चौरानवें हजार सात सौ दो मात्र) के प्रतिफल में द्वितीय पक्ष को विक्रय करना तय किया है जिसमें से बतौर अग्रिम धनराशि रु0 8,89,702/-(रु0 आठ लाख नवासी हजार सात सौ दो मात्र) प्रथम पक्ष ने प्राप्त कर लिया है। जिसका भुगतान द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को इस विलेख के अंत में दी गई अनुसूची के अनुसार कर दिया गया है एंव जिसकी प्राप्ति को प्रथम पक्ष यहाँ स्वीकार करते है, अभी बैनामें के लिए आवश्यक कागजात/अनुमति प्राप्त नहीं है। तथा प्रथम पक्ष सक्षम अधिकारी से विक्रीत भूमि को संक्रमणीय भूमिधर अकिंत कराकर द्वितीय पक्ष के पक्ष में संक्रमणीय भूमिधर घोषित होने के बाद संक्रमणीय भूमिधर होने की तिथि से तीन महीने के अन्दर द्वितीय पक्ष को सूचित कर द्वितीय पक्ष के हक में विक्रय विलेख निष्पादित कर देगा,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक........

मूल्य........

नाम........ A

पता........

कोषाध्यक्ष

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 069275 09 APR 2012

तथा शेष बकाया धनराशि रू0 5,000/-(रू0 पांच हजार मात्र) द्वितीय पक्ष से प्राप्त करके विक्रय विलेख अवश्य निष्पादित कर देगें तथा कोई हीलाहवाली या बहानेबाजी नहीं करेगें। यदि प्रथम पक्ष विक्रय विलेख निष्पादित कराने में किसी प्रकार की हीलाहवाली करते है तो ऐसी किसी भी प्रकार की स्थिति में द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह जरिये अदालत विक्रय विलेख अपने पक्ष में निष्पादित करवा ले इसमें प्रथम पक्ष व उसके वारिसानों को कोई आपत्ति नहीं होगी।

यह कि प्रथम पक्ष द्वारा विक्रीत भूमि का कब्जा इस अनुबन्ध पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को दिया जा रहा है।

Authorised Signatory

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक......

मूल्य...... स्टाम्प

...

...

कोषाधिकारी

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री सुरेश वर्मा

पुत्र श्री राम प्रसाद

पेशा व्यापार

निवासी एफ आई गुंगेश्वागार काम्पलेक्स नरही लखनऊ

व श्री अजय कुमार

पुत्र श्री बंशीलाल

पेशा व्यापार

निवासी सौनई कंजेहरा लखनऊ

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अर्पिता शर्मा पाण्डेय
उ.नि.मोहनलालगंज
लखनऊ
15/5/2012

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 802002

अब उक्त आराजी पर प्रथम पक्ष तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है।

यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग प्रथम पक्ष के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण द्वितीय पक्ष या उसके वारिसान इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो द्वितीय पक्ष उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह अधिकार होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा , प्रथम पक्ष की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले, इस स्थिति में प्रथम पक्ष एंव उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगें।

Ansal Properties Infrastructure Ltd.

Authorised Signatory

आदेश ...गार लखनऊ

दिनांक.. 12/5/12

शुल्क.......

नाम.......

हस्ता...........

रजिस्ट्रीकर्ता

विक्रय अनुबंध विलेख (कब्जा)

894,702.00	216,720.00	889,702.00	10,000.00	20	10,020.00	1,000
प्रतिफल	मालियत	अग्रिम धनराशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री करतार

पुत्र श्री जगन्नाथदास

व्यवसाय व्यापार

निवासी स्थायी माई जी का पुरवा म.सोनईकंजेहरा मोहनलालगंज लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 15/5/2012 समय 1:23PM

बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अपिता शर्मा पाण्डेय

उ.नि. मोहनलालगंज

लखनऊ

15/5/2012

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री करतार

पुत्र श्री जगन्नाथदास

पेशा व्यापार

निवासी माई जी का पुरवा म.सोनईकंजेहरा

मोहनलालगंज लखनऊ

श्रीमती सन्ता

पत्नी श्री करतार

पेशा गृहिणी

निवासी माई जी का पुरवा म.सोनईकंजेहरा

मोहनलालगंज लखनऊ

क्रेता

अंसल प्रा.एण्ड इन्फ्रा.लि.द्वा.अधि.सुशील कुमार

सक्सेना

पुत्र श्री शिव गोपाल सक्सेना

पेशा नौकरी

निवासी 13 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ

यह कि प्रथम पक्ष यह भी घोषित करते है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एंव विकास परिषद्, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गई है। और न ही अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है। यह कि इस विकय अनुबन्ध पत्र के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको प्रथम पक्ष भुगतान व वहन करेंगें, प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम सौनई कजेंहरा विशिष्ट ग्राम के अर्न्तगत आता है, इसलिये निर्धारित सर्किल रेट रू0 18,00,000/– प्रति0 हे0 से विकीत भूमि 0.1204हे0 की मालियत रू0 2,16,720/–होती है तथा विकय मूल्य भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिये नियमानुसार विकय मूल्य पर ही रू0 44,850/–का जनरल स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है। भूमि में कोई पेड, इमारत, आदि नहीं है। तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है। व कोई नलकूप, कुआं, भी नहीं है, तथा 200मीटर के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है।

विकीत भूमि किसी राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। प्रथम पक्ष एंव द्वितीय पक्ष दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। इस विकय अनुबन्ध पत्र के निबन्धन का समस्त व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया गया है।

विक्रेता

Registration No.: 4838 Year 2012 Book No.: 1

0101 करतार

जगन्नाथ

नाई जी का पुरवा म.सोन्हई(कठेठा) मोहनलालगंज लखनऊ

व्यापार

0102 सन्ता

करतार

नाई जी का पुरवा म.सोन्हई(कठेठा) मोहनलालगंज लखनऊ

गृहिणी

लिहाजा यह विक्रय अनुबन्ध पत्र प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के पक्ष में बिना किसी जोर व दबाव के स्वस्थ चित्त मन से समक्ष गवाहान लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

परिशिष्ट भुगतान विवरण

1. प्रथम पक्ष को अग्रिम धनराशि रू0 8,89,702/–रू0 द्वारा चेक संख्या 055644 व 055645 दिनांक 11.05.2012 पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज लखनऊ द्वितीय पक्ष से प्राप्त हुए।

इस प्रकार प्रथम पक्ष को अग्रिम मूल्य रू0 8,89,702/–(रू0 आठ लाख नवासी हजार सात सौ दो मात्र) द्वितीय पक्ष से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति प्रथम पक्ष स्वीकार करता है।

दिनांक 11.05.2012

लखनऊ :

गवाहः

1.

प्रथम पक्ष

2.

Ansal Properties & Infrastructure Ltd.

Authorised Signatory

द्वितीय पक्ष

टाइपकर्ता

मनीष सिंह

तह0 मोहनलालगंज

मसविदाकर्ता

(फैजान रहमत)

एडवोकेट

क्रेता

Registration No.: 4878 Year: 2,012 Book No.: 1

0201 अंसल प्रा. एण्ड इन्फ्रा. लि. द्वा. अधि. सुशील कुमार सक्सेना
पिता गोपाल सक्सेना
13 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ
नौकरी

नजरी नक्शा भूमि विक्रीत की 200 मी० की त्रिज्या में स्थित सम्पत्तियों का

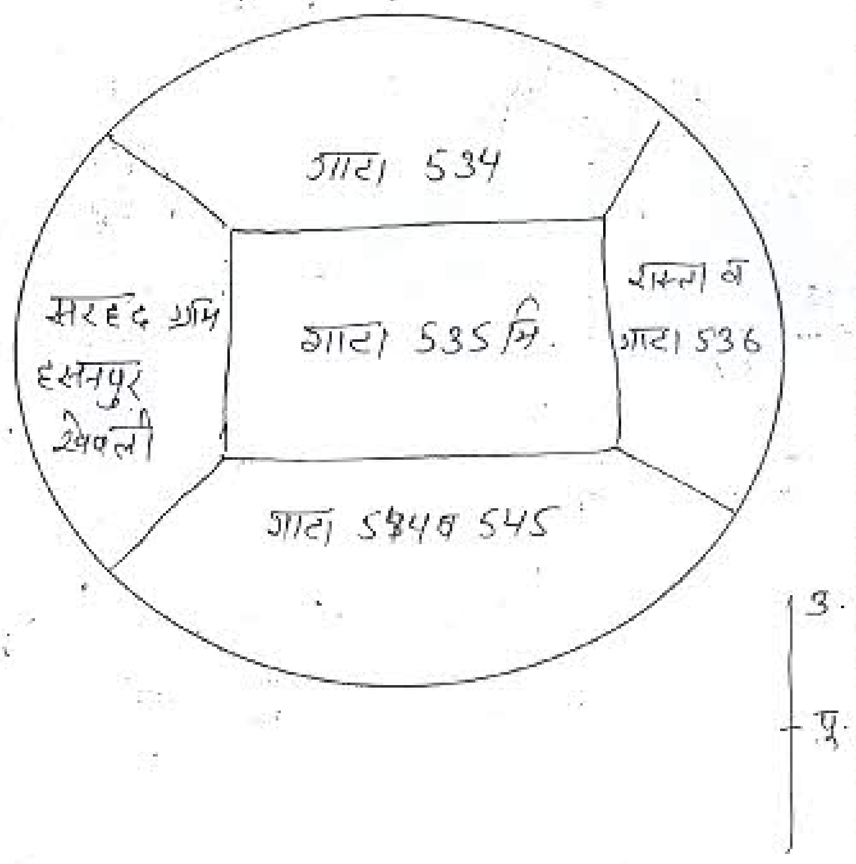

विक्रेता का नाम :- करतार पु. जगन्नाथ व

पिता का नाम :- सन्ता पत्नी करतार

नि० ग्राम :- माई जी का पुरवा म. सोनई कंजेहरा परगना व तहसील मोहनलाल गंज, लखनऊ

क्षेत्रफल :- 0.152 हे. का कुल रकबा 0.1204 हे.

भूमि स्थित ग्राम :- सोनई कंजेहरा

परगना :- व

तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ।

ह०/नि०अं० विक्रेता — करतार, सन्ता

ह०/नि०अं० क्रेता — [signature]

मसविदाकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक : 11.5.12

मुद्रक व प्राप्ति स्थान : अशोका इलेक्ट्रोस्टेट, मोहनलालगंज, लखनऊ।

आज दिनांक 15/05/2012 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 3107

पृष्ठ सं. 357 से 384 पर क्रमांक 4838

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अर्पिता शर्मा पाण्डेय

उ.नि.मोहनलालगंज

लखनऊ

15/5/2012

सत्यमेव जयते